संख्या ...

प्रेषक,

हौसला प्रसाद वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त 1999

विषय:- कारगिल की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों तथा शहीद के माता पिता को पेंशन दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1781/48-99-81(विविध)/99 टी0सी0-11, दिनांक 19 अगस्त 1999 की ओर आपका ध्यानाकर्षण करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश शासन द्वारा कारगिल में प्रदेश के वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास/कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया जा चुका है कि कारगिल की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सैनिकों की पत्नियों को जो, यदि वह शिक्षित न हो अथवा शासकीय सेवा करने की इच्छुक न हों, वैसी स्थिति में प्रतिमाह रुपया 5000/- पेंशन प्रदान की जाये तथा शहीद के माता-पिता को रुपया 2500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाये जिसका भुगतान "कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहायता कोष" से किया जायेगा।

2. उक्त संदर्भ में यह वांछित होगा कि कृपया अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में विभिन्न जनपद मुख्यालयों पर स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उक्त पेंशन का वितरण समय नियमित रूप से होता रहे।

3. यह अपेक्षा की जाती है कि आपके द्वारा कारगिल के शहीदों की पत्नियों एवं उनके माता-पिता के संबंध में वांछित जानकारी प्राप्त की जा चुकी होगी, तदनुसार यह

अपेक्षित होगा कि संबंधित शहीदों के माता-पिता एवं शहीद के [illegible] उनकी पत्नी को तत्काल प्रभाव से 01·08·1999 से उक्त पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। चूंकि आये दिन कारगिल क्षेत्र में सेना के वीर जवानों के दिवंगत होने की सूचना मिलती रही है, अतः यह पेंशन [illegible] शहादत की तिथि, जो भी बाद में हो, से दी जायेगी।

4: पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक होगा कि शहीद की पत्नी तथा उनके माता-पिता से संलग्नक के अनुसार उनसे निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक विवरण एवं यथावश्यकता घोषणा-पत्र ले लिये जायें। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शहीद की पत्नी को सेवायोजन या पेंशन में एक ही सुविधा अनुमन्य होगी, उनसे संपर्क करते हुए विकल्प ले लिया जाये कि वह सेवायोजन में इच्छुक रहेंगी अथवा पेंशन में। यदि पेंशन हेतु वह विकल्प दे देती हैं तो निर्धारित प्रपत्र पर वांछित प्रविष्टियां पूर्ण कराकर उन्हें अविलम्ब पेंशन दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। शहीद की पत्नी को चूंकि यह सुविधा उनके पति के वीरगति प्राप्त होने के कारण मिली है, अतः पुनर्विवाह की स्थिति में अथवा किसी भी समय राजकीय सेवायोजन प्राप्त करने की स्थिति में यह सुविधा समाप्त हो जायेगी।

5. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का विशेष रूप से दायित्व होगा कि वीरगति प्राप्त करने वाले शहीदों की पत्नियों एवं शहीद के माता-पिता से निर्धारित प्रपत्र वांछित सहयोग देते हुए त्वरित रूप से पूर्ण कराया जाये एवं उन्हें नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे, इसकी व्यवस्था की जाये।

6. संबंधित जिलाधिकारी कृपया उक्त कार्य को अपनी देख-रेख में सम्पन्न करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में शहीद की पत्नी एवं शहीद के माता-पिता को पेंशन का भी भुगतान नियमित रूप से होता रहे।

7: जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी से अपेक्षित होगा कि इस संबंध में संलग्न प्रपत्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे स्थाई रूप से सुरक्षित रखेंगे तथा इससे संबंधित सभी अभिलेखों का रखरखाव सम्यक रीति से करेंगे एवं धनराशि के वितरण के लेखा-जोखा का रख-रखाव भी उपयुक्त रीति से करेंगे।

8- शहीद के माता-पिता में जब तक एक भी व्यक्ति जीवित हो, पेंशन मिलती रहेगी। माता-पिता दोनों के निधन के उपरान्त अथवा शहीद की पत्नी के निधन के उपरान्त पेंशन बन्द कर दी जायेगी। शासन को यह अधिकार होगा कि यदि पेंशनभोगी किसी जघन्य अपराध में या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो या अन्य औचित्यपूर्ण स्थितियां विद्यमान हों तो पेंशन की सुविधा उनके जीवनकाल में ही समाप्त कर दी जायेगी।

9- भुगतान प्रक्रिया के संबंध में विदित ही है कि "कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहायता कोष" से प्रत्येक त्रैमासिक मांग के आधार पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास को तदनुसार उक्त कोष से संबंधित चेक/बैंकड्राफ्ट उपलब्ध कराया जायेगा जिसे निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास एक अलग खाता खोलकर जमा करेंगे एवं इसका लेखा-जोखा उनके स्तर से अलग से एक रजिस्टर में रखा जायेगा तथा इससे संबंधित अभिलेखों का निदेशालय स्तर पर अलग से समुचित रख-रखाव किया जायेगा। निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास संबंधित खाते से आहरण स्वयं तथा निदेशालय के नागत लेखा/ आहरण वितरण अधिकारी के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से करेंगे।

10- शहीद की पत्नी एवं शहीद के माता-पिता को पेंशन के स्वीकृताधिकारी निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास होंगे। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि शासन द्वारा बलिदानी शहीदों के वीरोचित सैन्य कार्यवाही एवं आत्मोत्सर्ग को दृष्टिगत रखते हुए उनके परिवारजनों को यह सुविधा एक सम्मानपूर्ण सहायता के रूप में दी गयी है, अतः उन्हें तात्कालिक राहत दिये जाने के दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि सम्प्रति निदेशालय स्तर पर संकलित शहीदों के विवरण के आधार पर उनके माता-पिता एवं शहीद के विवाहित होने की स्थिति में उनकी पत्नी को अनन्तिम तौर से तत्काल 01.08.1997 या शहादत की तिथि से, जो भी बाद में हो, पेंशन स्वीकृत कर दी जाये, जिसके संबंध में जिला स्तर पर तत्काल वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति, जिनमें संलग्न प्रपत्र का भरा जाना आदि है, सुनिश्चित करते हुए पेंशन धनराशि दिया जाना प्रारंभ कर दिया जाये। शहीद पत्नी के संदर्भ में जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है उन्हें पेंशन की धनराशि का भुगतान किये जाने के पूर्व उनसे इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त की जायेगी कि वह अपने पति के शहीद होने के आधार पर किसी राजकीय सेवायोजन हेतु इच्छुक नहीं हैं। जिला स्तर से समस्त

प्रपत्र के पूर्ण कर लेने के उपरान्त औपचारिक रूप से अंतिम स्वीकृति निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा कालान्तर में ले ली जायेगी यद्यपि यह पुनः सुस्पष्ट किया है कि निदेशक की अन्तिम स्वीकृति के आधार पर शहीद की पत्नी या शहीद के माता-पिता को निरन्तर रूप से पेंशन दिया जाना सामान्यतः जारी रखा जायेगा।

11. शहीद की पत्नी तथा शहीद के माता-पिता को देय धनराशि के जिलेवार त्रैमासिक मांग के आधार पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को उनके स्तर पर इस हेतु खोले गये बैंक खाते में आवश्यक धनराशि चेक/बैंकड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करायेंगे। इस खाते का संयुक्त संचालन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मासिक रूप से पेंशन की राशि चेक/बैंकड्राफ्ट द्वारा संबंधित पेंशनर (लाभार्थी) जोकि शहीद की पत्नी या शहीद के माता-पिता संयुक्त या एकल रूप से होंगे, को उपलब्ध करायेंगे तथा जैसा कि इंगित किया जा चुका है इससे संबंधित भुगतान का विवरण एक अलग रजिस्टर में रखेंगे एवं इससे संबंधित अभिलेखों का रखरखाव भी अलग ही सम्यक रीति से सुनिश्चित करेंगे।

12. जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित धनराशि का सम्यक रूपेण भुगतान संबंधित लाभार्थियों को समय से होता रहे तथा इससे संबंधित अभिलेखों का रखरखाव भी सही ढंग से होता रहे इसे भी उनके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित अभिलेखों/पंजिकाओं का निरीक्षण उनके द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। संबंधित धनराशि को व्यवहरित किये जाने के संबंध में कृपया संलग्नकों का भी अवलोकन करें जिनका सम्यक रूपेण उपयोग उपरोक्त संदर्भ में किया जाये तथा उक्त आधार पर संबंधित पंजिका का भरा जाना तथा अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

13. इसे पुनः सुस्पष्ट किया जाता है कि संबंधित खाता/पंजिका/अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रीति से किया जाये तथा इनके समय-समय पर आडिट की व्यवस्था भी करायी जाये।

14. किसी भी विवाद या स्थिति में सम्पूर्ण तथ्यों को जिला स्तर से निदेशक, सैनिक कल्याण को भेजा जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा। निदेशक के निर्णय पर शासन स्तर पर औचित्यपूर्ण स्थितियों में पुनर्विचार किया जा सकता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(हौंसिला प्रसाद वर्मा)
सचिव।

संख्या-1781(1)/48-99 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हौंसिला प्रसाद वर्मा)
सचिव।

संख्या-1781(2)/48-99 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
2. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(हौंसिला प्रसाद वर्मा)
सचिव।